

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा-2025 शिफ्ट शिविर- बिजारी

प्रकरण संख्या:- 20/2025

दिनांक:- 24/06/2025

उनवान

श्री पिंकी पुत्री राकेश्वर
रवानी नि. झान्दोली

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

:: आदेश ::




प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का बिजारी भू. अ. नि. झान्दोली एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम झान्दोली पो. ह. बिजारी की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 20 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1	<u>रहन</u>	<u>स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया शाखा सवाई माधोपुर</u>	<u>स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया शाखा सवाई माधोपुर</u>

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

प्रतिहिापी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर ले  के आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री पिंकी पुत्री राकेश्वर रवानी नि. झान्दोली
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)